दिनांक 05.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0:पुलिस/नारकोटिक्स/क्राईम ब्रांच का अधिकारी बनकर, Digital Arrest कर Cyber Fraud करने वाले संगठित गिरोह का एक सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 04—12—2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पुलिस/नारकोटिक्स/क्राईम ब्रांच का अधिकारी बनकर, कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर, Digital Arrest कर Cyber Fraud करने वाले संगठित गिरोह के 01 सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— प्रदीप सोनी पुत्र मुन्ना लाल सोनी निवासी 60 दुर्गा मार्ग गली न0 1, वार्ड नम्बर 18 ढलकपुरा, थाना कोतवाली, जनपद विदिषा, मध्यप्रदेष, उम्र लगभग 40 वर्ष।

बरामदगी—

1— 02 अदद मोबाइल फोन।
2— 01 अदद पैन कार्ड।
3— 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
4— 01 अदद ब्लैंक चेक।
5— 01 अदद एटीएम कार्ड।
6— 01 अदद आधार कार्ड।
7— 01 अदद आरसी।
8— 01 अदद सिम कार्ड।
9— 10 अदद स्क्रीनषाट (मोबाइल फोन से लिसे गये जिनमें साइबर क्राइम में प्रयोग किये गये बैक खातों व अन्य जानकारी)।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः— दिनांकः 04—12—2025 स्थानः फिनिक्स पलासियो माल के पीछे गोमतीनगर विस्तार लखनऊ समयः 20:20 बजे ।

साइबर क्राइम की रोकथाम व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि प्रो0 डा0 बीएन सिंह को दिनांक 06–04–2025 को दोपहर करीब 2 बजे व्हाट्सएप काल कर एक तथाकथित दीपक कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि वह ब्लू डाट कूरियर कम्पनी से बोल रहा है तथा कहा गया कि आपके नाम से अवैध पार्सल पकड़ा गया है, जिसके सम्बन्ध में कान्फ्रेंस कराकर उसने तथाकथित इस प्रकरण के जॉचकर्ता पुलिस अधिकारी के० मोहनदास का उल्लेख कर उनसे बात करवायी। इसके पश्चात् एक अन्य मोबाइल नम्बर से व्हाट्सएप वीडियो काल कर तथाकथित जॉचकर्ता पुलिस अधिकारी, जो पुलिस वर्दी में था, द्वारा बताया गया कि डा0 बीएन सिंह आपके आधार नम्बर का दुरूपयोग करके आनलाइन पार्सल भेजा जा रहा है, जिसमें अवैध सामान है। जिसके सम्बन्ध में डा0 बीएन सिंह से जाँच में सहयोग करने को कहा गया तथा यह भी कहा गया कि जाँच के दौरान आपको किसी से सम्पर्क नहीं करना है और न ही इसके बारे में किसी को बताना है। क्योंकि ऐसा करने पर न केवल जाँच प्रभावित होगी बल्कि आपको एवं आपके परिवार को जान माल का गम्भीर नुकसान भी हो सकता है।

यह तथाकथित पुलिस अधिकारी इस दौरान दिनांक 06.04.2025 से 08.04.2025 तक व्हाट्सएप पर वीडियो काल के जरिये डा0 बीएन सिंह से बात करता रहा। उस पुलिस अधिकारी द्वारा डा0 बीएन सिंह को रिजर्व बैक आफ इंडिया का एक कूटरचित पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर कहा गया कि जाँच पूरी होने की अवधि तक के लिए आपको तत्काल रू० 95 लाख उस कथित पुलिस अधिकारी द्वारा बताये गये बैंक खाते में Transfer करना होगा, जिसे जाँच के उपरान्त वापस कर दिया जाएगा। दि0 08–04–2025 को डा0 बीएन सिंह द्वारा रू० 95 लाख Transfer कर दिया गया। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में डा0 बीएन सिंह द्वारा national cyber crime reporting portal पर शिकायत दर्ज करायी गयी व मु0अ0स0 60/2025 थाना साइबर क्राइम लखनऊ में पंजीकृत कराया गया।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेशज्ञता के आधार पर विष्लेषण किया गया तो पता चला कि Cyber Fraud करने में प्रयोग किये गये बैक खाते में लगभग 1 करोड 40 लाख रूपयों का Cyber Fraud किया गया है। वादी से Cyber Fraud कर ठगे गये 95 लाख रूपयों को कुल 420 ट्रांजेक्षन के माध्यम से 11 लेयर तक के बैंक खातों मे ट्रांसफर किया गया है। उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 24–07–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 की साइबर टीम द्वारा कनकिया रोड निकट थाना मीरारोड, जनपद थाणे महाराष्ट्र से 02 अभियुक्तों मोहम्मद इकबाल व शाइन इकबाल को गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में कल दिनांक 04–12–2025 को अभियुक्त प्रदीप सोनी को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप सोनी उपरोक्त ने पूछतांछ में बताया कि उसने वर्ष 2004 से सितम्बर 2024 तक पारस महल ज्वैलर्स भोपाल के यहां नौकरी किया। वहां पर कुछ विवाद हो जाने के कारण उसने नौकरी छोड दी जिससे बेरोजगार हो गया। इसके बाद उसकी मुलाकात उसके रिश्तेदार अखिलेश के माध्यम से 2024 की दीपावली के समय अमित कैथवास उर्फ केटू से हुई। अमित कैथवास ने उसे रोहित लोधी उर्फ बिट्टू से मिलवाया। रोहित ने बताया कि वह बैंक खाते किराये पर लेकर उनमें रूपये मंगाता है। किराये पर लिये गये प्रति बैक खाता एडवांस में रूपये 10000/ देता है। इसके अतिरिक्त जितना रूपया खाते मे आता है उसके हिसाब से कमीषन भी देता है। रूपये कमाने की लालच में आकर उसने रोहित को 08–10 बैक खाते साइबर ठगी का रूपया मंगाने के लिए दे दिया। जनवरी, फरवरी में रोहित ने उन बैक खातों में साइबर ठगी का रूपया मंगाया, जिसका उसे एडवांस में प्रति खाता रू 10000/ व बैंक खाते में आये रूपयों के हिसाब से कमीशन दिया। इसके बाद वह रोहित के पास आने जाने लगा। रोहित ने उससे बोला फील्ड से खाते लेकर आओ इसके बाद वह विदिषा, भोपाल, रायसेन आदि जिलों के आस पास से बैंक खाते की किट (जिसमें एटीएम कार्ड, बैंक खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की सिम कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिग की समस्त जानकारी आईडी पासवर्ड के साथ रहती है) उपलब्ध कराने का काम करने लगा। वह साइबर ठगी (डिजिटल अरेस्ट, आन लाइन गेमिंग, शेयर ट्रेडिंग फ्राड, होटल रेटिंग फ्राड, टास्क फ्राड) में प्रयोग किये गये बैक खातो में आये रूपयों को एटीएम कार्ड की लिमिट के अनुसार एटीएम से निकालकर उन रूपये को रोहित द्वारा बताये गये बैंक खातों में सीडीएम मषीन से डालने का काम भी करने लगा, जिसका उसे अच्छा कमीशन मिलता था। धीरे धीरे वह भी रोहित द्वारा साइबर ठगी करने हेतु चलाये जा रहे संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य हो गया। इस गिरोह में कुछ अन्य सदस्य भी है जो तकनीकी कार्य करते हैं जैसे कि एपीके फाइल लगाना, पैनल चलाना, रूपयो को क्रिप्टो में कनवर्ट कर वालेट में भेजना आदि। इन लोगों के गिरोह द्वारा माह अप्रैल 2025 में 95 लाख रूपये लखनऊ के डा0 बीएन सिह को डिजिटल अरेस्ट कर अवैध तरीक से वसूले गये थे। उसको वह, रोहित उर्फ बिट्टू व गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर कर एटीएम से कैष में कनवर्ट कर व क्रिप्टो में कनवर्ट कर अपना अपना हिस्सा बांट लिया गया। इसमे रोहित ने बताया था कि बैंक खाता धारक मोहम्मद इकबाल व शाइन इकबाल को 10 प्रतिषत का कमीषन दिया गया था। इसके अतिरिक्त उसने लगभग 02 दर्जन बैक खातों की किट रोहित को उपलब्ध करायी है। गैंग के सदस्यों द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क अधिकतर व्हाटसएप के माध्यम से किया जाता था। गैंग के सभी सदस्य छद्म नाम का प्रयोग करते है जैसे उसके द्वारा मनोहर व संजू नाम का प्रयोग किया जाता था। रोहित, राहुल व बिट्टू नाम का प्रयोग करता है। यह लोग समय समय पर अपना मोबाइल फार्मेट करते रहते हैं। रूपये कमाने के लालच में आकर अवैध तरीके से धन वसूली के काम में संलिप्त हो गया।

अभियुक्त द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 60/2025 धारा 318(4), 319(2), 351(4), 308(2), 308(3), 308(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)बी भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टीएफ0 :कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग करके फर्जी प्रोफाइल बनाकर कई बैकों से धोखाधड़ी करके 100 करोड़ से अधिक का होम लोन लेकर गबन करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 08 अभियुक्त एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 04–12–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग करके फर्जी प्रोफाइल बनाकर कई बैंको से धोखाधड़ी करके 100 करोड़ से अधिक का होम लोन लेकर गबन करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– रामकुमार पुत्र अतर सिंह निवासी 567 प्रथम तल लेन नं0 09, शक्ति खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

2– नितिन जैन पुत्र विनोद जैन निवासी 1/101, गली नम्बर 3 वेस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्ली।

3– मौ0 वसी पुत्र अयूब अंसारी निवासी ग्राम चंदेल, सरायकेला, झारखण्ड।

4– शमशाद आलम पुत्र वाजुलहक निवासी फुलवरिया ढाका, चम्पारण सरन बिहार।

5– इन्द्रकुमार कर्माकर पुत्र कालीराम कर्माकर निवासी म0नं0 956 सी–2 ब्लाक पालम विहार, गुरूग्राम हरियाणा।

6– अनुज यादव पुत्र राममूर्ति यादव निवासी 1273 राजीव कालोनी, मोहन नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7– ताहिर हुसैन पुत्र ईदेखान निवासी गवा, जामा मस्जिद के पीछे, रजपुरा, संभल।

8– अशोक उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी पुत्र जगदीश लाल निवासी म0नं0 WZ 145 वेस्ट पटेल नगर शाहदरा, दिल्ली।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगीः–

1– 126 अदद विभिन्न बैंकों की चैकबुक एवं पासबुक

2– 170 अदद ए0टी0एम0 कार्ड (विभिन्न बैंको के)

3– 45 अदद आधार कार्ड

4– 27 अदद पैन कार्ड

5– 05 वोटर आईडी कार्ड

6– 26 अदद मोबाइल (जो अपराध में प्रयुक्त किये गये हैं)

7– 03 अदद लैपटॉप

8– 03 अदद गाडी

(टाटा हैरियर नंव यूपी–14एफके–5364 2– महेन्द्रा टीयूवी– नं0 यूपी–14ईई–7407 एवं KIA SELTOS नं0 एचआर–26ईवाई–0626)

9– विभिन्न व्यक्तियों के आधार कार्ड/पैन कार्ड/आई0डी0 कार्ड एवं होम लोन से सम्बन्धित रजिस्ट्री एव एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित दस्जावेजों की कई प्रतियॉ

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 04–12–25 समय 15.00 बजे, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि एच0डी0एफ0सी0 बैंक के एक अधिकारी का शिकायती प्रार्थना पत्र जॉच हेतु एसटीएफ को प्राप्त हुआ था, जिसकी जाँच हेतु प्रकरण एसटीएफ फील्ड इकाई, नोयडा को सन्दर्भित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 04–12–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि एक संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर लोगों के घरों के फर्जी दस्तावेज बनाये जा रहे हैं तथा उनके नाम के फर्जी व्यक्ति की प्रोफाइल बनाकर लोगों की सम्पत्ति को विभिन्न बैंको से लोन कराकर बेच दिया जा रहा है। इस सूचना को गहनता से विकसित करने के उपरान्त रामकुमार, नितिन जैन, मौ0 वसी, शमशाद आलम, इन्द्रकुमार कर्माकर, अनुज यादव, ताहिर हुसैन तथा अशोक उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी उपरोक्त को मय दस्तावेजों आदि के विस्तृत पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर में लाया गया। सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त आठों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रामकुमार ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 45 साल है और वह पूर्व में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक में लोन एग्ज्यूकेटिव के पद पर काम कर चुका है। इसके पश्चात फर्जी प्रोफाइल तैयार करके लोन कराने के कार्य में संलिप्त हो गया। अभियुक्त रामकुमार द्वारा विभिन्न बिल्डरों के साथ मिलकर फर्जी प्रोफाइल तैयार करके उनके नाम से होम लोन तैयार करके लोन लिया जाता है, जिसमें से कुछ रकम बिल्डर अभियुक्त रामकुमार को वापस देता है। अभियुक्त रामकुमार द्वारा टीएसए साफ्वेयर सर्विसिज प्रा0लि0 एंव Triptechie प्रा0लि0 नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर तैयार किये गये फर्जी व्यक्ति को डायरेक्टर बनाकर रजिस्ट्रर्ड कराई है। इन कम्पनियों में फर्जी आधार कार्ड पर बनाये गये व्यक्ति के बैंक खाते, बैंक कर्मियों के साथ मिली भगत करके खोले हैं तथा इन कम्पनियों में फर्जी रूप से प्रतिमाह सैलरी भेजकर उनकी प्रोफाइल तैयार की है तथा ऐसे प्रोफाइल तैयार किये गये फर्जी व्यक्तियों के नाम से विभिन्न बैंकों से होम लोन, पर्सनल लोन आदि लिये हैं। इन सब कार्यो में गैंग के लोगों के अलग–अलग कार्य होते हैं। इस गैंग के मौ0 वसी एवं शमसाद, बिहार के ऐसे लोगों को तलाशते थे, जो गल्फ कन्ट्री में नौकरी करते हैं इन व्यक्तियों को कुछ पैसे का लालच देकर उनकी प्रोफाइल पर लोन कराकर सम्पत्ति खरीद लेते हैं। अधिकतर ऐसी सम्पत्तियॉ फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके खरीदी जाती है अथवा बिल्डर के साथ मिलीभगत करके लोन कराते है तथा धन को आपस में बांट लेते हैं। इसी प्रकार की एक सम्पत्ति रतनावासुदेवा नाम की महिला की दिल्ली में स्थित है, रतनावासुदेवा की मृत्यु हो चुकी है एवं इनके पुत्र विदेश में रहते हैं। रतनावासुदेवा के स्थान पर शाहिदा अहमद नाम की एक महिला को खड़ी करके उसकी सम्पत्ति सनाउल्ला अंसारी के नाम इस गैंग द्वारा करा दी गयी जिसमें 4.8 करोड रूपये का लोन बैंक से प्राप्त करके आपस में बांट लिया। गैंग का एक सदस्य अनिल शर्मा, दिल्ली में इसी प्रकार की एक सम्पत्ति का फर्जी बैनामा करके एल0आई0सी0 हाउसिंग से 1.25 करोड़ का लोन लेकर फर्जीवाडा करने के आरोप में मार्च–2025 में थाना ई0ओ0डब्लू दिल्ली के मु0अ0स0 93/23 में गिरफ्तार होकर जेल में निरूद्व है। इस प्रकार 100 करोड से अधिक के लोन के फर्जीवाडे के प्रारम्भिक साक्ष्य अभियुक्तों से पूछताछ एवं दस्तावेजों से प्राप्त हुए हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ एवं बनारस, उत्तराखण्ड के हरिद्वार, चंडीगढ, दिल्ली तथा गुरूग्राम के कई बिल्डरों की भी मिलीभगत होना ज्ञात हुआ है।

गैंग के सदस्य अशोक कुमार, नितिन जैन, कर्माकर, तारिक अनुज आदि ने कई प्रोपराईटर फर्म फर्जी व्यक्तियों के नाम से बना रखी है, जिनमें धोखाधडी से प्राप्त धन को साइफनिंग करके अभियुक्तों को दिया जाता है। अब तक ऐसी 20 से अधिक शेल फर्मो की जानकारी प्राप्त हुई है जो धनशोधन के लिए प्रयुक्त की जा रही थी। फर्जी प्रोफाइल एवं धन की साइफनिंग के कारण न तो बैंक वास्तविक व्यक्ति तक पहॅुच पाता है और यह गैंग पुलिस की पकड़ से भी बचा रहता है। इस गैंग के सदस्य हाईप्रोफाइल रहते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त राम कुमार एम0बी0ए0 पास है तथा अभियुक्त वसी, कम्पनी सेक्रेटरी (सी0एस0) तथा एम0बी0ए पास है तथा एलएलबी पास है, जो कई वर्षो से एक्सचेंन्सर कम्पनी में लीगल एवं रिस्क मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा है तथा अन्य गिरफ्तार अभियुक्त भी अपनी पहचान छिपाकर फर्जी प्रोफाइल से गैंग के कार्य करते हैं, जिससे उनकी वास्तविक पहचान उजागर नही हो पाती है। अभियुक्तों के पास से बरामदगी से ज्ञात हुए लगभग 220 बैंक खातों को फ्रीज कराया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 694/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस एवं 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफ यूनिट आगरा द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 09 किलो 980 ग्राम अवैध चरस (जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रूपये), 02 अदद मोबाइल, 01 अदद अर्टिगा कार व 8,040/– रुपये नकद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट आगरा द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर जिनका नाम (1) बलवीर सिंह पुत्र स्व0 मंगत राम नि0 लांगराइन थाना अमरगढ मलेर कोटला संगरूर पंजाब उम्र करीब 51 वर्ष, (2) धर्मवीर राणा पुत्र स्व0 कश्मीरी लाल नि0 ग्राम साराबाई थाना भुन्तर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 59 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 09 किलो 980 ग्राम अवैध चरस (जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रूपये), 02 अदद मोबाइल, 01 अदद अर्टिगा कार व 8,040/– रुपये नकद बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना कमला नगर, कमिश्नरेट आगरा पर मु0अ0सं0 220/2025 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही की गयी ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया कि इन लोगो पर काफी कर्जा था जिसके कारण यह लोग अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी कर रहे थे । इन लोगों ने यह अवैध चरस कुल्लू के पहाड़ों पर रहने वाले एक व्यक्ति से लिया था जिसे एक

दूसरे व्यक्ति के कहने पर कोटला पुल हाइवे फिरोजाबाद में डिलीवरी करने जा रहे थे कि रास्ते में आप लोगो ने पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 मंगत राम नि0 लांगराइन थाना अमरगढ मलेर कोटला संगरूर पंजाब उम्र करीब 51 वर्ष,

2. धर्मवीर राणा पुत्र स्व0 कश्मीरी लाल नि0 ग्राम साराबाई थाना भुन्तर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 59 वर्ष ,

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 04.12.2025 स्थान– यात्री टीन सेड नगर निगम वाटर वर्कस चौराहा से फिरोजाबाद की तरफ 100 मीटर थाना कमला नगर पुलिस कमिश्नरेट आगरा

बरामदगी का विवरण

1. 09 किलो 980 ग्राम अवैध चरस (जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रूपये)

2. 01 अदद अर्टिगा कार

3. 02 अदद मोबाइल फोन

4. 8,040/– रुपये नगद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा

1– निरीक्षक श्री हरवेन्द्र मिश्रा ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

2– हे0का0– सुधीर कुमार ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

3– हे0का0– आशीष शुक्ला ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

4– हे0का0 लखन लाल ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

5– हे0 का0 चालक मुकेश कुमार ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

6– का0 प्रेमनरायन ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

7– का0 वसीम अकरम ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा जोन आगरा ।

सहयोगार्थ थाना कमला नगर कमिश्नरेट आगरा टीम–

1– थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना कमला नगर पुलिस कमिश्नरेट आगरा,

2– उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना कमला नगर पुलिस कमिश्नरेट आगरा,

3– का0 प्रशांत कुमार थाना कमला नगर पुलिस कमिश्नरेट आगरा ।

जनपद मऊ/थाना हलधरपुर

• 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.12.2025 को थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहसा बाजार चकरा रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोविन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना हलधरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोविन्द निवासी ग्राम कीरत सराय थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

• पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

• 01 आई–20 गाड़ी (बिना नम्बर प्लेट)

• 01 स्कॉर्पियों वाहन बरामद

दिनॉकः 04.12.2025 को थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिरपडी कट से बघरा जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अनुराज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–पारस उर्फ मालू 3–निखिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 आई–20 गाड़ी (बिना नम्बर प्लेट), 01 स्कॉर्पियों वाहन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनुराज थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त अनुराज के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग, अभियुक्त पारस उर्फ मालू के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त निखिल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुराज निवासी ग्राम दतियाना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

2–पारस उर्फ मालू निवासी जडौदा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3–निखिल निवासी मखियाली थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 आई–20 गाड़ी (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 स्कॉर्पियों वाहन।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के माल बिक्री के नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 05.12.2025 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहेरीपुर चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–योगेश उर्फ गोलू 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के माल बिक्री के नगद रूपये आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.11.2025 को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेश उर्फ गोलू निवासी नगला भदौरिया थाना बकेवर जनपद इटावा।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के माल बिक्री के नगद रूपये आदि।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख 46 हजार रूपये कीमत के 104 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 डीसीएम वाहन आदि बरामद**

दिनांक 05.12.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलिया मोड़ के पास से अभियुक्त रामू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख 46 हजार रूपये कीमत के 104 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 डीसीएम वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामू कुमार निवासी नीरूपुर थाना हल्दी जनपद बलिया ।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख 46 हजार रूपये कीमत के 104 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 डीसीएम वाहन आदि।

जनपद जौनपुर/थाना गौराबादशाहपुर

● 08 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 05.12.2025 को थाना गौराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुरेथु तिराहा के पास से 08 अभियुक्तों 1–शिवम उर्फ बड्डू 2–सोनू 3–सिकन्दर 4–शशिकान्त 5–रतन सागर उर्फ छोटू 6–हेमन्त 7–सत्यम 8–अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना गौराबादशाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ बड्डू निवासी ग्राम इमली थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

2–सोनू निवासी बालेमऊ थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

3–सिकन्दर निवासी कबीरूद्दीनपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

4–शशिकान्त निवासी मोलापुर थाना केराकत जनपद जौनपुर।

5–रतन सागर उर्फ छोटू निवासी उदियासन थाना केराकत जनपद जौनपुर।

6–हेमन्त निवासी कौवापार थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

7–सत्यम निवासी गजना थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर।

8–अभिषेक निवासी करमौना थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1– चोरी की 10 मोटर साइकिल।

➢ **जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अर्जुन लाल 2–रामप्रकाश को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सफीक को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना गजनेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना गजनेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त करन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————